सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री अशोक कुमार, स०वि०स० श्री अनिल कुमार, स०वि०स०	"श्रम संसाधन विभाग के बजट में से अधिकांश राशि बिहार कौशल विकास मिशन में खर्च होती है । वर्ष 2016 से युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में एम.के.सी.एल. का चयन किया गया, जिसे प्रशिक्षणोपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान भी करना था, लेकिन तीन वर्ष तक इसका कोई प्रावधान नहीं कर करोड़ों रुपये प्राप्त किये गये और जनवरी, 2020 में पोर्टल खोला गया । इसके द्वारा लगातार असत्य सूचना देकर विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशियों का गबन किया जा रहा है और 5 वर्षों में मात्र 10 से 20 प्रतिशत छात्रों को ही प्रशिक्षित किया गया है, जबकि के.वाई.पी. सेंटर को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर पूर्ण भुगतान किया जाता है । सरकारी आदेश के बावजूद प्लेसमेंट पोर्टल के लिए गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली आज तक एम.के.सी.एल. से नहीं की गयी है । बिहार में कौशल युवा कार्यक्रम सफेद हाथी साबित हुआ है । अतः एम.के.सी.एल. द्वारा गलत तरीके से बिना कार्य किये ही प्राप्त किये गए भुगतान की वसूली करने, उसे काली सूची में डालने तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	श्रम संसाधन

2. श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री रणविजय साहू, स०वि०स० श्री बच्चा पाण्डेय, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स० श्री छोटे लाल राय, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स०	''गया जिला से नौकरी की तलाश में सिरसा, हरियाणा जाने के क्रम में आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में सात मजदूरों की मौत हो गयी और तीन घायल हैं । सभी दलित एवं अनुसूचित जाति के हैं । हर साल मजदूरों का पलायन बढ़ता जा रहा है और इस तरह की दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं, किन्तु सरकार पलायन रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है । अत: जनहित में पलायन रोकने, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	श्रम संसाधन

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2021- 1238 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / श्रम संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2021- 1238 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

13/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
13/3/21